भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3471

जिसका उत्तर दिनांक 22.03.2023 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

3471. श्री विजयकुमार *उर्फ* विजय वसंत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए घरेलू निवेश पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सम्पूर्ण देश में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने और मौजूदा परमाणु स्टेशन को विकसित करने के लिए भी कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मौजूदा मांगों को पूरा करने के लिए चिह्नित किए गए विकास कार्यों की सूची और इसकी परमाणु स्टेशन-वार प्रस्तावित निवेश योजना क्या है; और

(ङ) क्या सम्पूर्ण देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए नए संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) व (ख) एनपीसीआईएल की नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश का वित्तपोषण ऋण व सामान्य शेयर 70:30 के अनुपात में किया जा रहा है। सामान्य शेयर का वित्तपोषण एनपीसीआईएल के आंतरिक स्रोतों एवं सरकारी बजट की सहायता से किया जाता है।

(ग) वर्तमान नीति (सरकार की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति) के तहत परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए नाभिकीय विद्युत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में एफडीआई को बढ़ावा देने की कोई योजना नहीं है। घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में

संशोधन किया है ताकि नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संयुक्त उद्यमों को सक्षम बनाया जा सके। एनपीसीआईएल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ संयुक्त उद्यमों का गठन किया गया है। मौजूदा बिजलीघरों को विकसित करने के लिए आवश्यक निवेश को एनपीसीआईएल के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(घ) वर्ष 2022-23 में मौजूदा प्रचालित बिजलीघरों में विभिन्न सुधारों के लिए प्रस्तावित पूंजी निवेश निम्नानुसार है:

बिजलीघर	**प्रस्तावित निवेश (बीई 2022-23) (रूपए करोड़ में)**
टीएपीएस - 1 व 2	160
टीएपीएस - 3 व 4	22
आरएपीएस - 2 से 6	149
आरएपीएस - 3 ईएमसीसीआर	69
एमएपीएस - 1 व 2	47
एनएपीएस - 1 व 2	20
केएपीएस -1 व 2	39
केजीएस - 1 से 4	76
कीजीएस -1 ईएमसीसीआर	15
केकेएनपीपी - 1 व 2	489

(ङ) 8700 मेगावाट की कुल क्षमता वाले ग्यारह (11) रिएक्टर (भाविनि द्वारा पीएफबीआर सहित) निर्माण/कमीशनन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, सरकार ने फ्लीट मोड में दस (10) स्वदेशी 700 मेगावाट के दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। निर्माणाधीन और मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर वर्तमान संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 6780 मेगावाट को वर्ष 2031 तक 22480 मेगावाट बढ़ाया जाना निर्धारित है। सरकार ने भविष्य में नाभिकीय रिएक्टर स्थापित करने के लिए नए स्थलों के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' भी दे दिया है।

* * * * *